न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2704/2016

GCMS NO. : 2016/00322

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. बिदामी पुत्री बालूराम 2. पतासी पुत्री बालूराम जातियान–गुरू(गुरूड़ा) निवासीगण– सेवरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।		1. सुरेश पुत्र चम्पालाल 2. दिनेश पुत्र चम्पालाल 3. रतनी पत्नी चम्पालाल 4. कलावती पुत्री चम्पालाल 5. उषा पुत्री चम्पालाल 6. लक्ष्मण दत्तक पुत्र अखराज उर्फ अम्बालाल 7. शांतिलाल पुत्री प्रभुराम 8. सुन्दरदेवी पुत्री प्रभुराम 9. पतासी पत्नी प्रभुराम जातियान–गुरू(गुरूड़ा) निवासीगण– सेवरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली 10. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजीयन अधिकारी जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 29/11/2016**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिय, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 25/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान की पैतृक पुश्तैनी व गैरसायलान संख्या 01 से 09 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 05–17 बीघा, खसरा नम्बर 67/1 रकबा 05–18 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 04–09 बीघा, खसरा नम्बर 123/1 रकबा 04–09 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 03–02 बीघा खसरा नम्बर 228/1 रकबा 03–02 बीघा, खसरा नम्बर 1767/2 रकबा 05–00 बीघा, खसरा नम्बर 1926/227 रकबा 05–00 बीघा कुल खसरा 08 कुल रकबा 36–17 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश [illegible] प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान [illegible] गैरसायलान संख्या 01 से 09 बालूराम पुत्र उदयराज के वारिसान है। उपरोक्त [illegible] वंशावली के अनुसार सायलान व प्रतिवदीगण एक ही वंशज बालूराम जी के वारिसान है जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा सायलान का उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से के अधिकारी है एवं इसी माफिक सायलान का मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। बालूराम जी के फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by: Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

होने के बाद जो फोतेदगी म्युटेशन पारित किया गया उस फोतेदगी म्युटेशन मे सायलान का नाम इन्द्राज किये बिना ही तत्कालीन आरआई व पटवारी ने बिना वारिसान की जांच किये पारित कर दिया। जो गलत है क्योंकि बालूराम जी के दो पुत्र व दो पुत्रीयां थी. जिनका इस पैतृक पुश्तैनी आराजी में बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है तथा जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में बालूराम जी का नाम इन्दाज है। तत्पश्चात इनके फौत होने के बाद जो जमाबंदी संवत 2028 से 2031 तैयार की उसमें सायलान का नाम इन्द्राज किये बिना ही बालूराम जी के दोनों पुत्रों के नाम ही इन्द्राज किये गये जबकि उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में सायलान का भी बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी में गैरसायलान संख्या 01, 02 व 06 ने उक्त आराजी में सायलान को उनके हक हिस्से से वंचित रखने की नियत से आपस में बंटवाड़ा कर अपने खाते अलग करवा लिये जबकि इन गैरसायलान को ऐसा करने का कतई कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है क्योकि सायलान को उनकी पैतृक व पुश्तैनी में बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है। गैरसायलान शुरु से ही नियत बद थे जिन्होने आपस दुरभिसंधि करते हुये आपस में बंटवाड़ा कर लिया एवं सायलान को उनकी पैतृक पुश्तैनी आराजी से मौके से बेदखल कर उक्त आराजी को जरिये हस्तान्तरण अजनबी क्रेता को बेचान करने को आमादा है, यदि गैरसायलान अपने गैर कानूनी ईरादो में कामयाब हो जाते है तो सायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बावत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के पेश है। दिनांक 08.11.2016 को सायलान द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने पर उनको जानकारी हुई कि उपरोक्त वर्णित आराजी में उनके नाम का इन्दाज राजस्व रेकर्ड में नहीं है जबकि गैरसायलान को इस आराजी में कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। मात्र गलत नाम दर्ज होने के आधार पर गैरसायलान बिना किसी हक व अधिकार के उक्त आराजी को रहन बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है। गैरसायलान ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि यह किसी अजनबी क्रेता को यह जमीन बेचान करेगे एवं जबरदस्ती लाठी व लकड़ी के बल पर सायलान को इस विवादित आराजी से बेदखल कर देगे तथा जबरदस्ती लाठी के बल पर उक्त आराजी को बेचान करवाकर इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने गैर कानूनी मन्सूबों में कामयाब हो जाते है तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। यदि गैरसायलान किसी अन्य को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द करते है तो विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तथा सायलान अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगें तब सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उसके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर देता है या सायल के हक हिस्से [illegible] भूमि को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण कर देते तो सायलान [illegible] जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर समज नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का की मूल्याकन मुदा में नहीं किया जा सकता है। जिससे सुविधा का संतुलन बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है, तब यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण में सायलान की पैतृक पुश्तैनी व गैरसायलान संख्या 01 सें 09 की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 05-17 बीघा, खसरा नम्बर 67/1 रकबा 05-18 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 04-09 बीघा, खसरा नम्बर 123/1 रकबा 04-09 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 03-02 बीघा खसरा नम्बर 228/1 रकबा 03-02 बीघा, खसरा नम्बर 1767/2 रकबा 05-00 बीघा, खसरा नम्बर 1926/227 रकबा 05-00 बीघा कुल खसरा 08 कुल रकबा 36-17 बीघा में सायलान अपने 1/2 वें हक हिस्से की आराजी में काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार व परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी, बाधा अड़चन पैदा नही करे व मोके पर कोई खुर्द बुर्द नही करे तथा न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी को जरिये रहन, बेचान, वसीयत के अन्य हस्तान्तरण ही करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 व 8 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 व 8 ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद सख्या एक मे दर्ज कथनो का जबाब है कि इस पद मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के कथन गलत झूठे व विरुद्ध दस्तावेज के है। वाद पत्र के पद सख्या 2 मे वर्णित वंशावली वादीगण स्वयं अपने दस्तावेज साबित करे व वादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होकर पद सख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि मे 1/2 हिस्से मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी एवं मौके पर कब्जे काश्त होने के कथन भी गलत झूठे व विरुद्ध रेकर्ड के है। वाद पत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथन का जबाब है कि बालुराम जी की मृत्यू होने पर वाद मे वर्णित कृषि भूमि मे उनके विधिक वारिसान प्रभुराम व राजुराम के नाम रेवेन्यू एजेन्सी मे कब्जे काश्त की जांच कर स्वीकृत किया जो सही है, क्योकि बालुराम जी की पुत्रीया वादीगण जो कि वर्तमान मे आयु कमशः 83 व 81 वर्ष की थी जिनका हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व ही उनकी शादी हो गयी इस कारण से वादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य नही रही न ही वाद मे वर्णित कृषि भूमि मे उनका कोई हक व अधिकार बनता है। वादीगण का वाद मे वर्णित कृषि भूमि पर पिछले करीब 65 वर्षो से अधिक समय से अपनी अपनी ससुराल रहती है न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा व न. ही उक्त भूमि मे काश्त की इसलिये वादीगण का उक्त भूमि मे कोई हक अधिकार नही रहा। वाद पत्र के पद सख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि वाद मे वर्णित भूमि के [illegible] 02 तथा प्रतिवादी संख्या 06 की शामलाती खातेदारी मे दर्ज थी [illegible] का वाद उक्त भूमि के खातेदार चम्पालाल पुत्र प्रभुराम के वारिसान प्रतिवादी [illegible] एवं 02 ने बन्टवाडा का वाद सख्या 50/2006 दिनांक 21.4.2006 को श्रीमान के न्यायालय मे पेश किया जो वाद दिनांक 17.9.2011 को बन्टवाडा की डिकी पारित की जो डिक्री विधि सम्मत थी जिसके आधार पर उत्तरदाता प्रतिवादी के हिस्से में खसरा नम्बर 67/1 रकबा 5-17 बीधा ख़सरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 123 रकबा 4-09 बीघा खसरा नम्बर 228 रकबा 3-02 बीघा व खसरा नम्बर 1767/227 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 18-08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 67, 123/1, 228/1 व 1926/227 रही जो वर्तमान रेकर्ड की जमाबंदी में दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर नक्शो ट्रेस मे भी तरमीम है। पद सख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि जो पैत्रक पुश्तैनी नही है व न ही कब्जा काश्त है तो वादीगण के हक अधिकार होकर उनको अपने हिसरो से वंचित करने के कथन मनमाने अंकित किये है। सही तथ्य यह है कि प्रतिवादी सख्या एक व दो ने वादीगण से दुरभीसन्धी करके उक्त वाद पेश करवाया व उत्तरदाता प्रतिवादी की कृषि भूमि को हडप करने की नियत से किया है। उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को अपनी ईच्छानुसार उपयोग उपभोग करने व बैचान हस्तातंरण करने के अधिकारी हे व रहन रखने के अधिकारी है इसलिए वादीगण वाद मे वर्णित भूमि मे न तो अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है न ही उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। वाद पत्र के पद सख्या पांच मे दर्ज कथन झूठे है वाद पत्र में वर्णित भूमि जो पैत्रक पुश्तैनी व संयुक्त हिन्दु उत्तराधिकार की नही है, क्योकि वादीगण की शादी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम आने के पूर्व ही हो चुकी है। इसलिये वाद मे वर्णित भूमि मे बालुराम का नाम सही इन्द्राज हुआ तथा उनकी मृत्यू के पश्चात उनके विधिक वारिसान के नाम सही इन्द्राज हुवे। वादीगण वाद मे वर्णित भूमि मे उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है वादीगण ने उक्त भूमि पर न तो कभी काश्त की तो फिर उक्त भूमि मे प्रतिवादी का हक नही होना व नाम गलत इन्द्राज होने के आधार पर बैचान हस्तातरण करने व रहन रखने व लाठी के बल पर वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने व असीम हानि होने आदि के कथन मात्र वाद करने की गरंज से गलत व झूठे अंकित किये है। उत्तरदाता प्रतिवादी सख्या 6 खसरा नम्बर 67, 123, 228, 1767/227 का एक मात्र खातेदार व कब्जा काश्त है वादीगण वाद मे वर्णित भूमि मे अपना हिस्सा दर्ज करवाने के व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पाने के अधिकारी नही है वादीगण ने इस पद में दिनांक 08.11.2016 को राजस्व रेकर्ड देखने पर उन्हें इस वाद म वर्णित भूमि मे गलत इन्द्राज होने की जानकारी होने के कथन भी कपोल कल्पीत अंकित किये है। वाद पत्र के पद संख्या 6 मे वादीगण ने धारा 7 आर टी एक्ट के तहत भी प्रतिवादी सख्या 10 को गलत पक्षकार बनाया है। वाद पत्र के पद सख्या 7 मे वादीगण ने जो बिनाय वाद की दिनांक 08.11.2016 को अंकित की जो गलत है। वादीगण को उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नही होता है मात्र वाद करने की गरज से गलत व झूठी तारीख अकित की है। वाद पत्र के पद सख्या 8 कानूनी है। वाद पत्र के पद संख्या 9 मे वादीगण ने जो उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध जो अनुतोष चाहा है। जबाब दावा मे दर्ज कथनो के आधार पर राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति से कत्तई पाने के अधिकारी नही है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर [illegible]ए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपने हक हिस्से [illegible] खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। वाद के मुख्य अनुतोष पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में हमारा यह विनम्र

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अभिमत है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निर्दोष स्थापित नहीं होता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुआ है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपयोग एवं उपभोग तथा इनसे सम्बन्धित सुविधाओं का प्रार्थीगण के पक्ष में वर्तमान में विद्यमान होनें के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण यह साबित करनें में असफल रहें कि सुविधा का वर्तमान संतुलन उनके पक्ष में निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुये है, साथ ही प्रार्थीगण यह साबित करनें में असफल रहें हैं कि यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करनें पर उन्हें किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया/वादीगण प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested